

समिति द्वारा सन 2018-2019 हेतु कौशल का पुनः निर्धारण किया जाता है। जो कौशल की तबियत का दर्जा होगा।

- ✓ संस्था को (उ० प्रौद्योगिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाये। विनियमावली-2018 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों का शिफ्ट रहे जाने की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय समय पर निर्गत शासनवर्ष का अंदाजा निर्दिष्ट एव सम्बद्धता शुरूवात करना करना होगा।
- ✓ संस्था को 2023 तक सीटों/आई० से आगामी सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनवर्षों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि सी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरांचल संस्था का हीम और विधिक रूप से किलों की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा (उत्तरांचल एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन) को कार्य-काद टाइम किया जाये है तथा दोनों काद के संबंध में सा-न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव किया गया है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मासी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग चलाने के पूर्व यो.सी.आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद काउन्सिलिंग को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थाएँ द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संपत्ति सूचनाएँ जैसा संस्था की एंतिहासिक पूर्तिपूर्ति, स्टाफ-साज-सज्जा उपकरण प्रायः किया जाने वाला शुल्क, प्रकाशन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को वित्तिय-परिक्षण हेतु उपयुक्त बतानेवाला उपलब्ध कराने के साथ सैनित रोकने के संबंध में समस्त आवश्यकता संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासिक/संचालित पाठ्यक्रम को बनाये रखने हेतु निर्देशिका समिति के संस्था-संबंधी कसबे गये अभिलेख, सुनि-मात्र, पनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इतरकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो लखनऊ संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किशे जामे अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की रिपोर्ट में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2018/889-1518

सद दिनांक: 15-6-2018

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, आर०जी०एन०पी० कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राजा का राजपुर, बिलौरी।

91
(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

S. No	File.No.	State	Name of the Institution	admissions	Approval upto academic session	Examining Authority
						Mandi Chauraha, Lucknow Pin- 226 001.
	1887 PCI-1724	Uttar Pradesh	Ramashray Singh Institute of Pharmacy, Village-Basti, Post-Khuriya, Tehsil-Muhammadabad Gohna, District-Mau-275103;	60	Approval u/s 12 from 2018-2019 to 2020-2021 for 60 intake (D.Pharm)	The Secretary Board of Tech.Education, Guru Gobind Singh Marg, 1, Bans Mandi Chauraha, Charbagh Lucknow - 226 001.
	1795 PCI-1748	Uttar Pradesh	RDS College of Pharmacy, Bhaupur, Jalalpur, Jaunpur.	60	Approval u/s 12 from 2018-2019 to 2020-2021 for 60 intake (D.Pharm)	The Secretary Board of Technical Education, 1-Guru Gobind Singh Marg, Bans Mandi Chauraha, Lucknow – 226 001.
	1956 PCI-1755	Uttar Pradesh	RGNP College of Pharmacy, VPO- Raja ka Tajpur, Noorpur- Seohara Road, Dist. Bijnor – 246 735.	60	Approval u/s 12 from 2018-2019 to 2020-2021 for 60 intake (D.Pharm)	The Secretary, Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Bansmandi Chauraha Lucknow – 226 001.
	1974 PCI-1770	Uttar Pradesh	Roots Institute of Profesional Education, 5.5 km Milestone Moradabad Road, Bijnor – 246701.	60	Approval u/s 12 from 2018-2019 to 2020-2021 for 60 intake (D.Pharm).	The Registrar, Board of Technical Education 1, Guru Govind Singh Marg Bansmandi Chauraha, Charbag, Lucknow – 226 001.
	1685 PCI-1794	Uttar Pradesh	S.G.S. College Nazampatti, Rasulpur Mathura.	60	Approval u/s 12 from 2018-2019 to 2020-2021 for 60 intake (D.Pharm)	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg,Bans Mandi Chauraha, Lucknow

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या— प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 16-9-2020

:- कार्यालय धाप :-

लखनऊ कार्यालय प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मियों कार्यालय और इम्प्लोय नई दिल्ली/सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं का सम्बद्धता/पूर्व से संवाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक 16 मई-21 में दिल्ली में इन कार्मियों पाठ्यक्रम संवाहित करने वाले पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का फलरूप रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यह विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मिनी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीओसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीओसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीओसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विनाशित जती के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीओसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीओसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	जयदेवी लक्ष्मी प्रालेख और कार्मिनी, जवाहर लाल नेहरू विज्ञान संस्थान	डिप्लोमा इन कार्मिनी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआई/एनआईओ/पीओसीआईओ द्वारा निर्धारित को शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार विनियमन, 1982, समस्टट विनियमन-2019 तथा अन्य विभिन्न विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी।
- ✓ संस्था संस्थापक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (जिनमें से इन्हीं पाठ्यक्रम हेतु ₹ 20,000/- प्रवेश, दो वर्षीय कार्मिनी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,000/-) प्रविधिक एवं एक लक्ष को प्रति पाठ्यक्रम (2) वार्षिक कार्मिनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक वर्ष/सत्र में प्राविधिक शिक्षा परिषद को अतिरिक्त व्यय, व्ययों से शुल्क के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा परिषद से

(हस्ताक्षर)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, आगरा लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में तिम्भ संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु तिम्भ संस्था के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1976-R.G.N.P. COLLEGE OF PHARMACY, RAJA KA TAJPUR, BIJNOR.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ० समितियां) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। जीर्ण के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग धारम होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृ0स0- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक R.G.N.P. COLLEGE OF PHARMACY, RAJA KA TAJPUR, BIJNOR.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव